न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/52/2021	2021/217	16.12.2021	27.06.2022

1. नन्दलाल पुत्र रामजीवन, जाति मीणा,
2. बनवारी पुत्र रामजीवन, जाति मीणा,
3. भागचन्द पुत्र रामजीवन, जाति मीणा,
4. मोहरा पत्नी भागचन्द जाति मीणा,
5. कमली देवी पत्नी बनवारी जाति मीणा,
6. गुड्डी पत्नी नन्दलाल जाति मीणा, निवासियान परवैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1. भब्बल राम पुत्र टुण्डाराम जाति मीणा,
2. टुण्डाराम पुत्र रामजीवन जाति मीणा,
3. फूलवती पत्नी टुण्डाराम जाति मीणा, निवासियान ग्राम परवैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।
4. तहसीलदार (भू0 अभिलेख) रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर राजस्थान।

— असल रेस्पोडेन्ट्स

5. भौरया पुत्र काला, जाति मीणा, निवासी ग्राम परवैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।

— तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार रैणी दिनांक 25.08.2021, विभाजन–पत्र आराजी खसरा न0 3001 रकबा 2.30 है0 वाके ग्राम परवैणी तहसील रैणी।

उपस्थितः–

01. श्री मूलचन्द चौधरी
02. श्री गोविन्द सिद्ध

— वकील अपीलाण्ट्स
–रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 3

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 25.08.2021 आराजी खसरा न0 3001 रकबा 2.30 है0 वाके ग्राम परवैणी तहसील रैणी के विभाजन से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू0 अभिलेख रैणी जिला अलवर द्वारा दिनांक 25.08.2021 को मिन अपीलान्ट्स के पीछे से बालाबाला पारित की गई जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 02.12.2021 को हुई जबकि रैस्पोडेन्ट्स सं 01 लगायत 03 द्वारा विवादित आराजी में मिन अपीलान्ट के कब्जा काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की तथा मिन अपीलान्ट ने एतराज किया तो बताया कि जिस स्थान पर आपका कब्जा है, वह स्थान अब हमारे बटवारे में आया है। हमने अपनी सहूलियत के अनुसार बंटवारा तहसीलदार एवं पटवारी से मिलकर करा लिया है तथा केवल खसरा नं 3001 रकबा 2.30 है0 के बटवारे का ही आदेश हुआ है। जिस पर मिन अपीलान्ट ने उसी दिन कार्यालय तहसील रैणी में जाकर जानकारी की और नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो नकल दिनांक 02.12.2021 को सांयकाल प्राप्त हुई। जिसपर मिन अपीलान्ट ने वकील साहब से सलाह मशवरा किया एवं रूपयों का इन्तजाम होने से यह अपील जानकारी की तारीख से अविलम्ब पेश की जा रही है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारण से हुई है इसलिए आज्ञा दिनांक 25.08.2021 से जानकारी की तारीख दिनांक 02.12.2021 तक का समय धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाना न्याय संगत है जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने मिन अपीलान्ट से कहा की हमारी संयुक्त सालिम खातेदारी की आराजी का बटवारा करा लेते हैं तथा जिस स्थान पर जो काबिज हैं उसी अनुसार बंटवारा कराने के लिए कहा, जिस पर मिन अपीलान्ट संख्या 01 व 02 ने उस पर विश्वास करते हुए सहमति प्रदान कर दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जो कि बहुत ही चालाक किस्म का आदमी है उसने कहा की वह तहसील जाकर कागजात लेकर आ रहा है उस पर हस्ताक्षर कर देना जिस पर वह तहसील कार्यालय से कुछ कागजात ले आया और उन पर अपीलान्ट संख्या 01 व 02 के हस्ताक्षर करा लिए तथा कहा की शेष व्यक्तियों के बाद में अंगूठा/हस्ताक्षर करा लूंगा और इस प्रकार रेस्पोडेंट ने पटवारी हल्का व तहसीलदार से साजवाज होकर केवल विवादित खसरा न0 का मौके के विपरीत बालाबाला तकासमा करा लिया जिससे यह अपील पेश की जा रही है।

उक्त कथित बटवारे के किसी भी कागजात पर अपीलान्ट भागचन्द, भौरया, कमली, मोहरा, गुड्डी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं किए और न ही उक्त अपीलान्ट द्वारा कभी कोई किसी कागजात पर हस्ताक्षर/अंगूठा किए हैं तथा उक्त बंटवारे के कागजातों पर जो हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है वो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने फर्जी किए हैं। अपीलान्ट संख्या 03 लगायत 06 के जो हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है वो प्रथम दृष्टया गौर करने से फर्जी प्रतीत होते हैं। सहमति पत्र व विभाजन पत्र पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी में भारी अंतर है। रेस्पोडेन्ट ने खसरा न0 3002 रकबा 0.2700 है0, 3003 रकबा 0.5500 है0, किता 2 रकबा 0.8200 है0, व खसरा न0 नम्बर 3005 रकबा 3.3500 है0, 3006 रकबा 1200 है0, 3047 रकबा 0.01 है0, 3049 रकबा 1.08 है के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सहखातेदार काश्तकार है। उनका बटवारा जान बूझकर तकासमा के दस्तावेजातों में शामिल नही किया है। जबकि कानूनन सभी खातो व उपरोक्त खसरा नम्बरों का बटवारा भी अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का होना चाहिए। केवल सहखातेदारों के मध्य एक ही नम्बर व एक ही खाता का बटवारा नहीं हो सकता है। जो काबिले गौर अदालत श्रीमान है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। मिन अपीलान्ट ने पटवारी हल्का के समक्ष किसी भी बटवारे पर कोई हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं की है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

रैस्पोडेन्ट्स ने आपस में साजवाज होकर फर्जी तरीके से अपीलान्ट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करते हुए कार्यवाही की गई है। मिन अपीलान्ट ने किसी भी सहमति पत्र/तकासमा पत्र पर न तो स्वयं ने कोई हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किए हैं और न ही किसी गवाहन के हस्ताक्षर करायें और नही किसी गवाहन का पूरा पता दर्ज है न ही उनके पिता का नाम अंकित है न ही किसी गवाह ने मिन अपीलान्ट के समक्ष हस्ताक्षर किए हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं।

इसी प्रकार जो सहमति पत्र भी रेस्पोडेन्ट ने फर्जी बनाया है तथा अपीलान्ट ने नोटेरी के समक्ष जाकर कभी कोई हस्ताक्षर किए हैं और न ही उसपर हमारी फोटो हैं न ही पहचान किसी ने की है। अपीलाधीन आराजी खसरा न0 3001 रकबा 2.30 है0 में मिन अपीलान्ट ने बोरिंग की हुई है व पक्का कुआ बनाया हुआ है। उसका भी बटवारे में कोई हवाला नही दिया है, न ही नक्शा ट्रेश के अनुसार बटवारा हुआ है, न ही तहसीलदार कभी मौके पर गए। ना ही मौके पर कुरेजात बनाए गए। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा बटवारे में किसी भी नियम की पालना नही की है। इसीलिए अधीनस्थ न्यायलय की आज्ञा निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर की आज्ञा दिनांक 25.08.2001 निरस्त फरमाई जावें। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पेश कर अपीलाधीन आराजी से संबंधित रेस्पोडेन्ट्स ने एक फर्जी दस्तावेज बटवारानामा तहरीर करवाकर पंजीयन करा दिया। जिस बाबत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 0022/2022 पुलिस थाना रैणी जिला अलवर में दर्ज करायी गई है जो जेरे अनुसंधान है। विवादित आराजी की बाबत संतोष मीना पत्नी बन्नाराम मीना द्वारा श्रीमति फूलवती देवी पत्नी टुण्डाराम, श्रीमति गुडडीदेवी स्त्री नन्दलाल, श्रीमति मोहरा देवी स्त्री भागचन्द, श्रीमति कमली देवी स्त्री श्री बवानीलाल के हक में दिनांक 15.06.2020 को बयनामा तहरीर व तकमील करवाया गया है जिसके आधार पर उक्त क्रेतागण के नाम इंतकाल बयनामा संख्या 3728 दिनांक 19.06.2020 को दर्ज कर 22.06.2020 को स्वीकार किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.01.2022, नामान्तकरण संख्या 3728 की प्रति, बयनामा 0255 दिनांक 17.06.2020 की प्रति, RRT 2015(1), न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट रैणी के आदेश दिनांक 16.06.2022 की प्रतियां पेश की गई। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेज शामिल पत्रावली किए गए।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 1 लगा0 3 ने दौराने बहस निवेदन किया है कि तहसीलदार रैणी द्वारा दिनांक 25.08.2001 को बटवारा आदेश पारित किये है। जो विधिक प्रक्रेया अपनाते हुए पारित किये गये है। प्रकरण में वर्णित विवादित आराजी के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सहखातेदार काश्तकार है। सभी सह खातेदारों ने पटवारी हल्का के समक्ष उपस्थित होकर बटवारे पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी की है। मिन अपीलान्ट ने सहमति पत्र/तकासमा पत्र पर भी हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किए हुए है। नक्शा ट्रेस पर भी अपीलांट्स के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये है। इस प्रकार पक्षकारों के बीच समझौता या सहमति से पारित आदेश की अपील नहीं की जा सकती है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने अपील के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पत्रांक 109 दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

18.02.2022 की प्रति, अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा इसी तरह के प्रकरणों में जारी किए गए निर्णयों की प्रतियां प्रस्तुत कर निवेदन किया की अपील अपीलांट्स निरस्त किये जाने योग्य है।

सर्वप्रथम प्रा0प0 दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा भी विभिन्न दृष्टांतो में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभय–पक्ष की बहस व अधीनस्थ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2073–2075 ग्राम रैणी A, पटवार हल्का रैणी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रैणी, खाता संख्या नया 872 खसरा संख्या 3001 क्षेत्रफल 2.30 है0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट प्रश्नगत आराजियात में सह खातेदार – काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड हैं। पटवारी हल्का द्वारा सहमति/तकासमा पत्र पर अपीलांट्स व रैस्पो0 एवं गवाहान् के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कराये गये हैं। संलग्न विभाजन पत्र सभी सह खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित एवं अगूंठा निशानी किया जाकर दिनांक 17.08.2021 को तहसीलदार रैणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार रैणी द्वारा 25.08.2021 को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए गए। संलग्न नक्शा ट्रेस पर भी सभी सह खातेदारों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी अंकित हैं। संलग्न सहमति पत्र जो की 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित करा सभी सह खातेदारों द्वारा आराजी खसरा न0 3001 रकबा 2.30 है0 में हिस्से अनुसार बंटवारा करने पर अपनी सहमति प्रकट की हुई है। इस सहमति पत्र एवं विभाजन पत्र के आधार पर दिनांक 09.10.2021 को नामान्तकरण संख्या 3833 स्वीकार हो चुका है।

न्याया0 हाजा की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी रैणी के पत्रांक 109 दिनांक 18.02.2022 में भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत आराजी खसरा न0 3001 रकबा 2.30 है0 का विभाजन सभी पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से करवाया गया, जिस पर सभी के हस्ताक्षर प्रस्तावित खाता विभाजन नक्शे पर हैं, सहमति पत्र भी संलग्न है। वकील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रैणी की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति पेश की है। अपीलान्ट संख्या 01 एवं 02 द्वारा प्रस्तुत अपील में स्वीकार भी किया गया है कि उन्होंने बंटवारा करने पर सहमति प्रदान की एवं सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये हैं। अपीलान्ट का यह कथन की शेष अपीलान्ट द्वारा बटवारे के किसी कागजात पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नही किये हैं। उक्त बंटवारे के कागजातों पर जो हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी हैं वो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने फर्जी किये हैं।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रैणी में उक्त सहमति/तकासमा पत्र पर अंकित हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी के संबंध में अनुसंधान विचाराधीन है। चूंकि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रैणी में संबंधित प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं इस विषय पर संज्ञान लेना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी नहीं है। अपील अपीलांट्स खारिज किये जाने योग्य है।

27/06/2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अतः पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजों के विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आराजी खसरा न0 3001 रकबा 2.30 है0 ग्राम रैणी A का बंटवारानामा सभी सह खातेदारों की सहमति के आधार पर हुआ है। तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2021 में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। प्रश्नगत बटवारानामा विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने के कारण एकदम उचित व सही है। पक्षकारों के बीच सहमति के आधार पर तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2021 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। बटवारेनामें के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/06/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर